[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 76 /2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 31 दिसंबर, 2018

सा.का.नि......(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि.1126(अ), तारीख 1 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 28/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 1 सितंबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड में संख्यांक सा.का.नि.1326(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 50/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 24 अक्तूबर, 2017 और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि.1420(अ), तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 64/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय तारीख तक जुलाई, 2017 मास के पश्चात् के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहने के लिए संदेय ऐसी विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करती है जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपए की रकम से अधिक है :

परंतु जहां उक्त विवरणी में संदेय केन्द्रीय कर की कुल रकम शून्य है वहां ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय तारीख तक जुलाई, 2017 मास के पश्चात् के लिए उक्त विवरणी देने में असफल रहने हेतु संदेय विलंब फीस की रकम उस विस्तार तक अधित्यक्त कर दी जाएगी, जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए दस रुपए की रकम से अधिक है :

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त की जाएगी, जो देय तारीख तक जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 मास तक के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी देने में असफल रहे हैं किंतु उन्होंने 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के बीच उक्त विवरणी दे दी है ।"।

[फा.सं.20/06/16/2018-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल)
अवर सचिव, भारत सरकार